कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-03/2024 **दिनांक 14/03//2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याः वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 13.03.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप IS-191 गैंग सरगना अभियुक्त मुख्तार अंसारी पुत्र स्व0 शुभानउल्लाह अंसारी निवासी यूसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर को आजीवन कारावास व 02 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दोषी अभियुक्त के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपद गाजीपुर पुलिस/मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप IS-191 गैंग सरगना अभियुक्त मुख्तार अंसारी पुत्र स्व0 शुभानउल्लाह अंसारी निवासी यूसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर को तत्कालीन जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से संस्तुति प्राप्त कर दोनाली बंदूक का शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने के प्रकरण में थाना मुहम्मदाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 266/90 धारा 467/468/420/120B भादवि, 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व 30 आर्म्स एक्ट में माननीय न्यायालय द्वारा धारा 467/120B भादवि में आजीवन कारावास व 01 लाख रुपये का अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 468/120B भादवि में 07 वर्ष का कारावास व 50000 रुपये का अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 420/120B भादवि में 07 वर्ष के कारावास व 50000 रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास,

तथा धारा 30 आर्म्स एक्ट में 06 माह का कारावास व 2000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 सप्ताह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया है।

02. <u>थाना करण्डा पुलिस द्वारा फौ0मु0 596/18 धारा 323/504 भा0द0वि0 जे0एम0 कक्ष सं0 8 कोर्ट गाजीपुर से सम्बंधित 03 नफर वारन्टियों को किया गया गिरफ्तार</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 13.03.2024 को मा0 न्यायालय से प्राप्त वारण्ट सम्बन्धित फौ0मु0 596/18 धारा 323/504 भा0द0वि0 जे0एम0 कक्ष सं0 8 कोर्ट गाजीपुर से सम्बंधित अभियुक्तगण 1. मन्ना सोनकर पुत्र रामचन्द्र सोनकर 2. राजा बाबू सोनकर पुत्र शिवमूरत सोनकर नि0गण ग्राम सुआपुर थाना करण्डा गाजीपुर, 3. भोनू कुमार भारती पुत्र हवलदार नि0 ग्राम बाघी थाना करण्डा जनपद गाजीपुर के घर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-</u>

1. मन्ना सोनकर पुत्र रामचन्द्र सोनकर।
2. राजा बाबू सोनकर पुत्र शिवमूरत सोनकर नि0गण ग्राम सुआपुर थाना करण्डा जनपद गाजीपुर।
3. भोनू कुमार भारती पुत्र हवलदार नि0 ग्राम बाघी थाना करण्डा जनपद गाजीपुर।

03. <u>थाना करण्डा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 27/24 धारा 498A/304B भा0द0वि0 व ¾ डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण की सफल गिरफ्तारी</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना करण्डा पुलिस द्वारा आज दिनांक 13.03.2024 को मु0अ0सं0 27/24 धारा 498A/304B भा0द0वि0 व ¾ डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. राहुल कुमार पुत्र बसावन बिन्द 2. बसावन बिन्द पुत्र स्व0 रामलक्षण बिन्द 3. चिन्ता देवी पत्नी बसावन बिन्द समस्त नि0गण-ग्राम परमेठ बिन्दपुरवा थाना करण्डा जनपद गाजीपुर को घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण व अभियुक्ता का नाम व पता -</u>

1. राहुल कुमार पुत्र बसावन बिन्द नि0-ग्राम परमेठ बिन्दपुरवा थाना करण्डा जनपद गाजीपुर
2. बसावन बिन्द पुत्र स्व0 रामलक्षण बिन्द नि0-ग्राम परमेठ बिन्दपुरवा थाना करण्डा जनपद गाजीपुर
3. चिन्ता देवी पत्नी बसावन बिन्द नि0-ग्राम परमेठ बिन्दपुरवा थाना करण्डा जनपद गाजीपुर

04. श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 03 नफर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा ’

दिनांक 13.03.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना मरदह पर पंजीकृत मु0अ0सं0 712/08 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1) एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्तगण 1. श्रीनाथ यादव पुत्र रामचन्द्र यादव 2.मनोज कुमार यादव पुत्र राजू यादव 3.मुसाफिर यादव पुत्र रामजनम यादव निवासीगण रायपुर बाहापुर थाना मरदह जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 323/34 भादवि में 01-01 वर्ष का कारावास व 500-500 रुपये का अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 15-15 दिवस का अतिरिक्त कारावास, धारा 506 भादवि में 02 वर्ष का कारावास व 1000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 3(1)एससी/एसटी एक्ट में 03 वर्ष के कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया है।

05. थाना नोनहरा पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी कासिमाबाद के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 12.03.2024 को उ0नि0 सुदामा प्रसाद मय हमराह देखभाल क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबीर खास की सूचना पर अभियुक्त विजय राम पुत्र स्व0 बुधु राम निवासी इंग्लिशपुर थाना नोनहरा गाजीपुर को सुवाष यादव के आम के बगीचे ग्राम बरतर से समय करीब 16.50 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

विजय राम पुत्र स्व0 बुधु राम निवासी इंग्लिशपुर थाना नोनहरा गाजीपुर उम्र करीब 50 वर्ष

बरामदगी

10 लीटर अवैध कच्ची शराब।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 31/24 धारा 60 EX ACT थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर